नवंबर में प्रदेश भर में आयोजित होगी महा उपभोक्ता लोक अदालत

चर्चा में क्यों?

17 सितंबर, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की रजिस्ट्रार अलका श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शांतनु एस. केमकर के मार्गदर्शन में 12 नवंबर, 2022 को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन ज़िला स्तर पर सभी उपभोक्ता अदालतों में किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- उपभोक्ता संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिये 12 नवंबर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
- अलका श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य आयोग एवं प्रदेश के ज़िला उपभोक्ता आयोगों में विचाराधीन बैंकिंग, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन, कृषि, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइंस, रेलवे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही महा उपभोक्ता लोक अदालत के माध्यम से की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में 17 सितंबर, 2022 को आयोजित बृहद् लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी।
- उपभोक्ता संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण के लिये 12 नवंबर को महा उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/maha-upbhokta-lok-adalat